कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पत्रांकः–2143/33-1 ,दिनांक, महोबा, दिसम्बर, 21 2022

सेवा में,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (सिविल),
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) महोबा।

विषयः– जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पत्यौरा डांडा ग्राम–समूह पेयजल पाईपलाईन बिछाने हेतु जनपद–महोबा में प्रभावित 01 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 118 वृक्षों/पौधों के पातन के सम्बन्ध में।

संदर्भः–
1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/08/256/2022/एफ0सी0/755, दिनांक 12.12.2022.
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–1987/11–सी–FP/UP/Water/152706/2022, दिनांक 14.12.2022.

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त सभी शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार मय संलग्नक के इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उक्त शर्तो के शर्त संख्या–02 के अनुपालन के क्रम में सिजहरी वन ब्लाक 02 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आगणित धनराशि 1470400.00 (चौदह लाख सत्तर हजार चार सौ मात्र) एवं शर्त संख्या–4 के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 1.0 हे0 की एन0पी0वी0 आदेशित दिनांक 06.01.2022 और 19.01.2022 के अनुसार आगणित धनराशि रू0 957780.00 (नौ लाख सत्तावन हजार सात सौ अस्सी मात्र) कुल धनराशि 2428180.00 (चौबीस लाख अठ्ठाईस हजार एक सौ अस्सी मात्र) ऑनलाईन ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराकर जमा पर्ची की मूल पावती सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

बिन्दु संख्या–02 व 04 का आगणन निम्न प्रकार हैः–

बिन्दु संख्या–02 :– शर्त संख्या–02 के अनुपालन के क्रम में सिजहरी वन ब्लाक 02 हे0 में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आगणित धनराशि 1470400.00 (चौदह लाख सत्तर हजार चार सौ मात्र) होती है।

बिन्दु संख्या–04 :– बिन्दु संख्या–04 के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वनभूमि 1.0 हे0 की एन0पी0वी0 आगणित धनराशि 957780X01 हे0 =957780 रू0 (नौ लाख सत्तावन हजार सात सौ अस्सी मात्र) होती है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(डॉ0 नरेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पृष्ठांकन संख्या–2143/अ/सम् दिनांक।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ0प्र0, बाँदा को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 नरेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।

01C

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पत्रांक 1513 /33—1/दिनांक, हमीरपुर, दिसम्बर 24 ,2022

सेवा में,

अधिशासी अभियंता
जल निगम (ग्रामीण)
महोबा।

विषयः—जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पत्यौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल पाइप लाइन बिछाने हेतु जनपद—हमीरपुर में प्रभावित 5.300 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 608 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ—भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रॉक—08बी0/यू0पी0/08/256/2022/एफ0सी0/755 दिनॉक 12.12.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक—1987/11—सी—FP/UP/Water/152706/2022 दिनॉक 14.12.2022 तथा वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त उ0प्र0 बाँदा का पत्रांक—1891/33—1/दिनांक 15.12.2022.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र को संलग्न करते हुये अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव मे भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा कतिपय शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या मय अभिलेख के पॉच प्रतियो मे इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उक्त शर्तो मे से शर्त संख्या—03 के अनुपालन हेतु सकल क्षेत्रफल 10.60 हे0 शुद्ध क्षेत्रफल 10.00 हे0 अवनत क्षेत्र (कुनेहटा वन ब्लाक) मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय प्राक्कलन के अनुसार धनराशि मु0 5035008.00 रू0 (पचास लाख पैतीस हजार आठ रूपये मात्र) एवं शर्त 04 के अनुपालन हेतु 5.30 हे0 प्रभावित संरक्षित वन भूमि की एन0पी0वी0 धनराशि मु0 5076234.00 रूपये (पचास लाख छिहत्तर हजार दो चौतीस रूपये मात्र) कुल धनराशि मु0 10111242.00 रू0 (एक करोड़ एक लाख ग्यारह हजार दो सौ बयालीस रूपये मात्र ई चालान द्वारा एडाक कैम्पा नई दिल्ली के खाते मे जमा कराकर चालान की मूल प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तदोपरांत विधिवत स्वीकृति हेतु इस कार्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार लीज रेंट की धनराशि जमा करने हेतु अलग से पत्र निर्गत कर अवगत करा दिया जायेंगा।

भवदीय,

(उमेश चन्द राय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पृष्ठांकन संख्या 1513 /अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—वन संरक्षक चित्रकूटधाम वृत्त बांदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे, हमीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(उमेश चन्द राय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

O/C Received
02/01/2023
PMC-Hamirpur

Stelment Office letter

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner